Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ..बयाना...

नेतराम आदि..............................बनाम ....चन्द्रभान.................................किस्म

मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं. 64/24 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
30.04.2024	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम पुराबाईखेडा तहसील बयाना के खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.23, 2252 रकबा 0.18, 2253 रकबा 0.27, 2254 रकबा 0.01, 2255 रकबा 0.49, 2259 रकबा 0.15 व 2360 रकबा 0.14 हैक्ट. कुल किता 07 कुल रकबा 1.47 हैक्ट. स्थित है बाबत् अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के हिस्से पर न्यारानूर निर्माण नहीं करें। बोरिंग नहीं लगावें, तथा वादीगण/प्रार्थीगण के उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः उभय पक्षकारान के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 29.05.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुराबाईखेडा तहसील बयाना के खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.23, 2252 रकबा 0.18, 2253 रकबा 0.27, 2254 रकबा 0.01, 2255 रकबा 0.49, 2359 रकबा 0.15 व 2360 रकबा 0.14 हैक्ट. कुल किता 07 कुल रकबा 1.47 हैक्ट. के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। **नोट–** यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म का... जारी
25/3/26	प्रकरण पेश हुआ। वकुलाय उप० बहस सुनी गई। प्रकरण वास्ते आदेश दि० 9/5/26 को पेश हो।	
9/5/26	प्रकरण पेश हुआ। वकुलाय उप० पत्रावली व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन व विवाद की स्थिति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः प्रकरण मे न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 30/5/24 से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद- तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज	